न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी हॅसमुख कुमार आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र संख्या 19/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्रीमती मांग कुंवर पत्नि श्री गणपतसिंह देवडा जाति राजपूत आयु 55 वर्ष पेशा नौकरी निवासी वेरापुरा हाल निवासी 2 बी 11 राजस्थान आवासन मण्डल सिरोही तहसील व जि.सिरोही		1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही 2– वन विभाग जरिये उप वन संरक्षक सिरोही राज.

उपस्थित :–
1– प्रार्थी की ओर से विद्वान वकील श्री भेरूपालसिंह
2– अप्रार्थी सं.1 स्टेट तहसीलदार सिरोही

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात दुरूस्ती करवाने हेतु

निर्णय दिनांक 30–7–2019

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 बाबत राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात दुरूस्ती करवाने का इस न्यायालय मे दिनांक 10–3–2016 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि जमाबंदी गांव सिरोही पटवार क्षैत्र सिरोही द्वितीय भू.अ.नि. क्षेत्र सिरोही तहसील सिरोही जिला सिरोही मे प्रार्थीया के मालकी स्वामित्व एवं खातेदारी की कृषि भूमि जिसके पुराने खाता संख्या 243 नये खाता संख्या 133 खसरा नंबर 4128 रकबा 3.2300 हेक्टेयर आई हुई है। उक्त पुरानेखाता संख्या 243 नये खाता संख्या 133 की कृषि भूमि पूर्व मे छैलसिंह पुत्र श्री पीरसिंह जाति राजपूत के नाम से दर्ज थी और सेटलमेण्ट से पूर्व 4128 खसरा नंबर का पुराना खसरा नंबर 3114 था । उक्त भूमि प्रार्थीया ने जरिये रजिस्र्टड विक्रय विलेख दिनांक 18–3–2015 के द्वारा खरीद कर इस जमीन का अपने नाम नामान्तकरण संख्या 424 दिनांक 15–6–2015 दर्ज करवाकर इस जमीन का उपयोग एवं उपभोग करती हुई आ रही है लेकिन सेटलमेण्ट के दौरान राजस्व अधिकारियों ने जो नया नक्शा निर्मित किया है उस नये नक्शे मे प्रार्थीया के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि मे एक लाईन अंकित कर दी है उस लाईन के हिसाब से प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त होती है तो उसके क्षैत्रफल कम आता है इसलिये राजस्व राजस्व रेकर्ड नक्शे मे राजस्व अधिकारियों द्वारा जो लाईन प्रार्थीया के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि मे अंकित की गई है उसे हटवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है जो कलमिया त्रुटि है जिसको सुधरवाया जाना आवश्यक है। उक्त राजस्व आराजी मे प्रार्थीया का नाम बिल्कुल सही दर्ज किया गया है लेकिन राजस्व रेकर्ड नक्शे मे जो सेटलमेण्ट अधिकारियों द्वारा नया बनाया गया है उसमे प्रार्थीया के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 4128 के बीच मेसे एक लाईन का अंकन किया गया है उस लाईन के हिसाब से प्रार्थीया काबिज काश्त होती है तो प्रार्थीया के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अनुसार क्षैत्रफल कब्जे मे कम आता है इस कारण से नक्शे मे अंकित उक्त लाईन को हटवाया जाना आवश्यक है राजस्व रेकर्ड नक्शे मे सेटलमेण्ट अधिकारियों ने उक्त कलमियॉ त्रुटि कारित की है जिसे सुधरवाया जाना कानूनन आवश्यक होने से प्रार्थीया को यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है। प्रार्थीया को यह जानकारी अपने नाम से स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सिरोही से किसान केडिट कार्ड बनवाने के लिये बैंक मे आवेदन प्रस्तुत किया तब शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे शखा सिरोही ने प्रार्थीया से राजस्व रेकर्ड जमाबंदी गिरदावरी एवं नक्शा ट्रेस मंगवाया तब प्रार्थीया को यह जानकारी हुई कि नक्शे मे प्रार्थीया के खातेदारी कब्जे काश्त की जो जमीन है उसमे सेटलमेण्ट अधिकारियों द्वारा जो नया नक्शा बनाया है उसमे लाईन अंकित कर दी है उस लाईन को हटवाया जाना आवश्यक है क्योंकि प्रार्थीया के राजस्व रकर्ड जमाबंदी मे अंकित क्षैत्रफल अनुसार काबिज काश्त होने पर लाईन को हटाने से ही पूरा क्षैत्रफल प्रार्थीया के कब्जे मे आता है। अगर उक्त लाईन को रखा जाता है तो प्रार्थीया के क्षैत्रफल अनुसार काफी कम भमि आती है जो सेटलमेण्ट अधिकारियों द्वारा बिना जांच पडताल किये उक्त लाईन राजस्व रकर्ड मे नक्शें मे निकाल दी है जो कलमिया त्रुटि है। जिसे सुधरवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मे अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब मे वन विभाग सिरोही को पक्षकार नही बनाये जाने बाबत आपत्ति पप्रस्तुत की थी जिसके अनुसरण मे प्रार्थीया द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थनापत्र दिनांक 26–9–2016 को श्रीमान के न्यायालय के समक्ष किया था जो श्रीमान न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था । इस माकूल कारण से प्रार्थीया इस गलती को दुरूस्त करवाने की अधिकारी है। इस माकूल कारण से प्रार्थीया को यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का करण पैदा हुआ है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रेकर्ड मे की गई उपरोक्त गलती को दुरूस्त कर प्रार्थीया के राजस्व रेकर्ड नक्शे मे सेटलमेण्ट अधिकारियों द्वारा निर्मित लाईन को हटाये जाने के आदेश प्रदान करावें ।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फर्द दस्तावेजात सूची अनुसार संलग्न मौजा सिरोही जमाबंदी संवत 2070–2073 खाता नंबर नया 133 खसरा नंबर 4128 रकबा 3.2300 हेक्टेयर लेमिनेशन नक्शा खसरा नंबर 4128, नक्शा किश्तवार खसरा नंबर 3114 की प्रमाणित प्रति की छाया प्रतियों का का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 10–3–2016 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया । जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 तथा अप्रार्थी संख्या 2 को नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया ।

इस न्यायालय मे विचारण प्रकरण की सुनवाई पेशी दिनांक 29–3–2016 को तहसीलदार, सिरोही ने जरिये पत्र कमांक 170 दिनांक 30–3–2016 को जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया ।

अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही ने अपने उक्त जवाब मे कथन किया कि पैरा संख्या 1 स्वीकार है जमाबंदी नकल संलग्न है। तथा पैरा संख्या 2 अनुसार जमाबंदी नक्ल संलग्न है लाईन तथ्य प्रार्थी स्वंय सिद्व करना बताया तथा पैरा संख्या 3 अनुसार प्रार्थी पुराने तरमीमशुदा भूखण्ड की नक्शा प्रति प्रस्तुत कर सिद्व करे तथा खसरा नंबर 4128 की नक्शे मे रकबा बरारी करने पर रकबा 2.40 है. ही बनता है जबकि प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड अनुसार 3.23 हैक्टे. है। प्रार्थी द्वारा बताई गई लाईन जंगलात भूमि से संबंधित है जो वन विभाग की खातेदारी भूमि है। अतः वन विभाग से भी मामला अपेक्षित है। तथा प्रार्थनापत्र के पैरा सख्या 6 से 9 तक का जवाब अपेक्षित नही होना बताया है।

इस न्यायालय मे विचारण प्रकरण की सुनवाई पेशी दिनांक 20–1–2017 को अप्रार्थी संख्या 2 क्षैत्रीय वन अधिकारी सिराही ने जरिये पत्र कमांक 56 दिनांक 20–1–2017 के द्वारा जवाब पेश किया जिसे शा.मि. किया गया ।

अप्रार्थी संख्या 2 क्षैत्रिय वन अधिकारी, सिरोही ने अपने उक्त जवाब मे यह कथन किया कि मौजा सिरोही पटवार हल्का सिरोही द्वितीय भू.अ.नि. सिरोही तहसील सिरोही जिला सिरोही मे प्रार्थीया श्रीमती मांग कुंवर धर्मपत्नि श्री गणपतसिंह देवडा जाति राजपूत आयु 55 वर्ष की 4128 खसरा नंबर की भूमि वन विभाग के खसरा नंबर 3114 के समीप स्थित है। मौका स्थिति

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर

Continue Page-2

अनुसार खसरा नंबर 3114 की भूमि वन भूमि होने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12–12–96 डब्लयुपी(सी) 202/1995 अनुसार यदि कोई भूमि किसी भी सरकारी रेकर्ड मे ववन भूमि दर्ज है तो चाहे वह किसी भी निजी व्यक्ति अथवा संस्था के स्वामित्व मे क्यों न हो उस पर वन संरक्षण 1980 के प्रावधान लागू है अर्थात बिना केन्द्र सरकार की अनुमति के वन भूमि के सवैधानिक स्थिति मे परिर्वतन नही किया जा सकेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के पालनार्थ राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपवत्र दिनांक 14–12–2001 कमांक प2(142) राज 3/93 द्वारा समस्त राजस्व अधिकारियों को बिना केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के सरकारी रेकर्ड मे दर्ज वन–भूमियों मे किसी गैर–वानिकी कार्य न कराने के निर्देश दिये गये थे । साथ ही यह भी स्पष्ट किया था कि यदि सरकारी रेकार्ड मे वन–भूमि त्रुटिवश भी दर्ज हो गई हो तो भी उसका सिद्वान्म के विरूद्व दिये गये निर्णय/आदेश प्रारम्भ से ही शून्य (ab initio void) होंगे । अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12–12–1996 अनुसार उक्त प्रकरण वन भूमि से संबंधित होने से आपके क्षैत्राधिकार मे नही है।

विचारण प्रकरण मे इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 30–1–2017 को दौराने सुनवाई वकील प्रार्थी व अप्रार्थी स्टेट पैरोकार सरकार के निवेदन पर विवादित कृषि भूमि के वर्तमान स्थिति को रेकर्ड पर लेना न्यायोचित होने से संयुक्त मौका जांच कमेटी जिसमे खसरा नंबर 4128 रकबा 3.2300 हेक्टेयर व खसरा नंबर 4126 से 4134 का नियमानुसार मौके एवं रेकर्ड के आधार पर संयुक्त मौका जांच कमेटी नायब तहसीलदार सिरोही की अध्यक्षता मे भू.अ.नि. सिरोही व पटवार हल्का सिरोही का गठन करने का आदेश इस न्यायालय द्वारा जरिये पत्र कमांक 1801 दिनांक 17–4–2018 जारी कर निर्देश दिये गये कि नियमानुसार मौके एवं रेकर्ड के आधार पर निरीक्षण कर वर्तमान स्थिति की मौका जांच रिर्पोट शीघ्र पेश करें । जिस पर नायब तहसीलदार सिरोही ने उनके पत्र कमांक 184 दिनांक 14–2–2019 के द्वारा वांछित संयुक्त जांच कमेठी की मौका रेकर्ड निरीक्षण फर्द दिनांक 27–1–2019 पेश की है जिसे न्यायालय मे प्रकरण की सुनवाई पेशी दिनांक 26–2–2019 को शामिल मिसल किया गया ।

उक्त संयुक्त मौका जांच निरीक्षण फर्द के मुताबिक मौके पर खसरा नंबर 4128 के खातेदार मांगुकुंवर की ओर से उनके पुत्र श्रीी सुदर्शनसिंह उपस्थित हुये । कमेटी द्वारा खसरा नंबर 4128 रकबा 3.2300 हेक्टेयर का राजस्व रेकर्ड व नक्शा से रकबा मिलान किया गया जिस पर उक्त खसरे का रकबा 3.2300 हेक्टेयर के मुकाबिले 2.2300 हेक्टेयर नक्शानुसार बन रहा है। इस प्रकार खसरा नंबर 4128 का रकबा 1.000 हेक्टेयर कम बन रहा है। मौके कब्जानुसार खसरा नंबर 4128 के पूर्वी भाग मे लगते खसरा नंबर 4125 पर भी मांगुकुंवर का कब्जा होना पाया गया । खसरा नंबर 4128 के अलावा खसरा नंबर 4125 के कब्जे शुदा रकबा 1.000 हेक्टेयर को खसरा नंबर 4128 की आराजी मे जोडने पर मांगुकुंवर की खातेदारी भूमि का रकबा राजस्व रेकर्ड अनुसार पूर्ण हो सकता है। राजस्व रेकर्ड मे खसरा नंबर 4125 की कुल भूमि रकबा 154.35 हेक्टेयर वन विभाग सिरोही के नाम से दर्ज है। खसरा नंबर 4125 के अलावा खसरा नंबर 4126 से 4134 तक का भी मौका निरीक्षण किया गया । मौका निरीक्षण मे खसरा नंबर 4132 का रकबा नक्शानुसार 0.9400 हेक्टेयर राजस्व रेकर्ड के मुकाबले कम हो रहा है एवं खसरा नंबर 4139 का रकबा 01.3700 हेक्टेयर बेशी हो रहा है। उपरोक्त समस्त खसरा नंबरानों का मिलान क्षैत्रफल से मिलान किया गया जिस पर इनका भू प्रबन्ध से पूर्व का अर्थात पुराना मूल खसरा नंबर 3114 ही है। खसरा नंबर 4139 के बेशी रकबे को वन विभाग के खसरा नंबर 4125 मे जोडा जाकर खसरा नंबर 4128 के रकबा 1.000 हेक्टेयर की पूर्ति खसरा नंबर 4125 के रकबे से ली जाने पर संभव हो सकती है। वन विभाग के नक्शे से भी मिलान किया जाना अपेक्षित होना बताया है।

इस न्यायालय मे दिनांक 27–5–2019 को विचाराधीन प्रकरण मे प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट पर वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार सिरोही की अंतिम बहस रखी जाने पर वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही ने इस न्यायालय मे उपस्थित होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

हमने वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही की अंतिम बहस पर गंभीरता से मनन किया । विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण मूल पत्रावली मय संलग्न प्रार्थी का उक्त प्रार्थनापत्र वं संलग्न जमाबंदी ,नक्शा ट्रेस व सेटलमेण्ट के पूर्व नक्शा, अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही का जवाब ,संयुक्त मौका निरीक्षण नायब तहसीलदार सिरोही भू.अ.नि. सिरोही पटवारी हल्का सिरोही ाा की संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोट दिनांक 27–1–2019 ,क्षैत्रीय वन अधिकारी सिरोही का जवाब रिर्पोट पत्र कमाक एफ( )विधि/2016–17/56 दिनांक 20–1–2017व संलग्न अन्य राजकीय परिपत्रों इत्यादि का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर भी मनन किया । प्रार्थी द्वारा बताई गई लाईन जंगलात (वन विभाग) भूमि से संबंधित है जो वन विभाग की खातेदारी भूमि है। अप्रार्थी संख्या 2 क्षैत्रिय वन अधिकारी सिरोही ने अपने उक्त जवाब मे यह कथन किया कि मौजा सिरोही पटवार हल्का सिरोही में प्रार्थीया श्रीमती मांग कुंवर धर्मपत्नि श्री गणपतसिंह देवडा जाति राजपूत की 4128 खसरा नंबर की भूमि वन विभाग के खसरा नंबर 4125 के समीप स्थित है। मौका स्थिति अनुसार खसरा नंबर 4125 की भूमि वन भूमि होने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12–12–96 डब्लयुपी(सी) 202/1995 अनुसार यदि कोई भूमि किसी भी सरकारी रेकर्ड मे वन भूमि दर्ज है तो चाहे वह किसी भी निजी व्यक्ति अथवा संस्था के स्वामित्व मे क्यों न हो उस पर वन संरक्षण 1980 के प्रावधान लागू है अर्थात बिना केन्द्र सरकार की अनुमति के वन भूमि के संवैधानिक स्थिति मे परिर्वतन नही किया जा सकेगा । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के पालनार्थ राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 14–12–2001 कमांक प2(142) राज 3/93 द्वारा समस्त राजस्व अधिकारियों को बिना केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के सरकारी रेकर्ड मे दर्ज वन–भूमियों मे किसी गैर–वानिकी कार्य न कराने के निर्देश दिये गये थे । साथ ही यह भी स्पष्ट किया था कि यदि सरकारी रेकार्ड मे वन–भूमि त्रुटिवश भी दर्ज हो गई हो तो भी उसका सिद्वांत के विरूद्व दिये गये निर्णय/आदेश प्रारम्भ से ही शून्य (Ab initio void) होंगे । प्रार्थिया द्वारा उक्त भूमि जरिये बेचान नामा कय किया जाना जाहिर है एवं उक्त कय भी भू प्रबन्ध की कार्यवाही के पश्चात ही किया गया है। प्रार्थिया द्वारा अन्तर्गत धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र वास्ते कब्जे के आधार पर तरमीम की शुद्धि बाबत प्रस्तुत किया गया है लेकिन प्रार्थिया द्वारा भू प्रबन्ध पूर्व का नक्शा तो प्रस्तुत किया गया है लेकिन उस से यह कतई स्पष्ट नहीं होता है कि प्रार्थीया वन विभाग की रिकार्डेड खातेदारी भूमि पर कब्जे के आधार पर दुरूस्ती का अधिकार रखती है। प्रार्थीया द्वारा अपने कब्जे की स्थिति का सेटलमेट पूर्व का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थिया द्वारा नक्शे में जिस भूमि का अनुतोष चाहा गया है वह भूमि वन विभाग की रिकार्डेड खातेदारी है। नायब तहसीलदार सिरोही की रिपोर्ट दिनांक 27.1.2019 में उल्लेखित अनुसार मौका निरीक्षण में खसरा नंबर 4132 का रकबा नक्शानुसार 0.94 हैक्टेयर कम हो रहा है और खसरा नंबर 4139 का रकबा 1.37 हैक्टेयर बेशी हो रहा है। रिपोर्ट अनुसार यदि खसरा नंबर 4139 के बेशी रकबे को वन विभाग के खसरा नंबर 4125 में जोडा जाकर खसरा नंबर 4125 के रकबे से ही 4128 के रकबे की पूर्ति संभव होना प्रदर्शित किया गया है। उक्त स्थिति में भी प्रार्थिया द्वारा 4139 के खातेदारों को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिये था जो कि नहीं बनाया गया है। परन्तु खसरा नंबर 4125 वन विभाग के नाम दर्ज होने से प्रार्थीया का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत बाबत् राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का पोषणीय नही होने से अस्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 30–7–2019 को मेरे हस्ताक्षर ,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही